संलग्नक-1
68

भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिला–कांकेर एवं नारायणपुर में प्रस्तावित रावघाट माइनिंग प्रोजेक्ट 14 मिलियन टन/वर्ष लौह अयस्क (आर.ओ.एम.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कांकेर जिला में लोक सुनवाई दिनांक 29–06–2007 (स्थानः– जनपद कार्यालय/ पंचायत (सद्भावना भवन) अन्तागढ़ , जिला–उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.) का कार्यवाही विवरण :–

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में पूर्व में लागू इन्व्हारमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेश्न, 1994 को अधिक्रमित कर एस.ओ. 1533 (ई.), दिनांक 14–09–2006 के द्वारा इन्व्हारमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, 2006 लागू कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 14–09–2006 से प्रभावशील है। उद्योगों एवं प्रोजेक्ट्स के लिए भारत का राजपत्र 14 सितम्बर 2006 के बिन्दु क्रमांक–4.0 अनुसार लोक सुनवाई पेनल की संरचना की गई।

भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिला–कांकेर एवं नारायणपुर में प्रस्तावित रावघाट माइनिंग प्रोजेक्ट 14 मिलियन टन/वर्ष लौह अयस्क (आर.ओ.एम.) हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में वर्णित उद्योगों की सूची में सम्मिलित है। अतः इस परियोजना के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नारायणपुर जिले के लिए लोक सुनवाई आज दिनांक 29–06–2007 को प्रातः 11.00 बजे स्थानः– जनपद कार्यालय/ पंचायत (सद्भावना भवन) अन्तागढ़, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, (छ.ग.) में निर्धारित की गई ।

इस लोक सुनवाई की सूचना नियमानुसार एक माह पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों एवं नेशनल समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई। तथा संबंधित व्यक्तियों तक पहुंच बाबत् ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट तथा समरी ई.आई.ए. रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की साफ्ट (सी.डी.) प्रति एवं हार्ड प्रति जिलाध्यक्ष कार्यालय जिला–उत्तर बस्तर कांकेर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर, नगर पालिका परिषद कांकेर, नगर पंचायत चारामा, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, कांकेर, सरपंच, ग्राम पंचायत तालाबेड़ा, सरपंच, ग्राम पंचायत बैहासाल्हेभाट, सरपंच, ग्राम पंचायत भैसगांव, सरपंच ग्राम पंचायत कोलर, सरपंच, ग्राम पंचायत खोड़गांव, ब्लाक – अंतागढ़ जिला–कांकेर, डायरेक्टर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड नं.–3 रविशंकर नगर भोपाल (म.प्र.), सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, सिविल लाईन्स रायपुर को प्रेषित की गई तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी धरमपुरा जगदलपुर में भी अवलोकन हेतु रखा गया ।

लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए भिलाई स्टील प्लांट, स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा परियोजना की विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की गई । उपरोक्त प्रोजेक्ट के परिपेक्ष में इस कार्यालय को कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नही हुई हैं ।

लोक सुनवाई के सन्दर्भ में प्राप्त आपत्तियां / सुझाव :–

1. माननीय श्री सोहन पोटाई सांसद कांकेर लोकसभा क्षेत्र :– ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने जनता के भावनाओं को ध्यान मे रखते हुए अनुरोध करता हूँ कि नकारात्मक में चले तो रावघाट माईन्स आने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नही होगा । सकारात्मक में चले तो बिना बलिदान के कोई भी अच्छा कार्य नही होता । मेरा कहना हैं कि रावघाट माईन्स आने से कोई भी प्रभावित होता हैं उसे बी0एस0पी0 द्वारा एक ऐसा अधिकार दिया जाना सुनिश्चित किया जाय । पर्यावरण के बारे में 25 किलोमीटर दूरी तक प्रभावित गावों एवं कृषको को भी उनके व्यवस्था एवं अन्य सुविधा हेतु सुनिश्चित किया जाय । रावघाट के प्रभावी लोगो को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाय । टाऊनशिप बनाने के लिए अंतागढ़ में ही शासन को पहल करनी चाहिए । सामांजिक प्रदूषण पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । यहां पर आई0टी0आई0 शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । रोजगार यहां के लोकल लोगो को ही मिलना चाहिए । यहां के आदिवासी लोगो को रावघाट परियोजना में 50 प्रतिशत रोजगार मिले । रावघाट से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी बताया जाय ?

2. माननीय श्री विक्रम देव उसेण्डी विधायक नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र :– उनके द्वारा अपने उद्‌बोधन में कहां गया कि इस क्षेत्र के जनता वर्षो से चाह रही थी कि रावघाट माईन्स आये । पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में चर्चा हो रही हैं । वास्तव में यह बहुत जरूरी विषय हैं । मेरे द्वारा बहुत सारी माईन्स को शुरू होने के पूर्व एवं बाद में देखा गया । माईन्स शुरू होने के पूर्व बहुत सारे वादे किये जाते हैं । लेकिन बाद में पूरे नही होते हैं । यहां पर भी यही स्थिति नही होनी चाहियें । आज यहां पर एक अच्छी शुरूवात होने जा रही हैं सभी को रोजगार का अवसर मिले । पर्यावरण एक चितनीय विषय हैं । इस क्षेत्र के लोगो की भलाई होनी चाहिये , इस क्षेत्र के लोगो का विकास होना चाहिए । अगर इस क्षेत्र की उपेक्षा होगी तो सबसे पहले मैं खड़ा होउगां । इस क्षेत्र में सड़क , पानी, बिजली सभी की सुविधा होनी चाहिए । बी0एस0पी0 के जनप्रतिनिधि से यह कहना चाहूंगा कि यहां पर हर हालत में इस क्षेत्र के जनता की भावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा का उच्च विकास किया जाय । और माईन्स आने से कुछ लाभ होगा तो कुछ नुकसान भी सहना पड़ेगा ।

3. श्री श्याम धावड़े (अपर कलेक्टर कांकेर) :– उनके द्वारा अपने उद्‌बोधन में कहा गया कि प्रस्तावित माईन्स में उपस्थित सभी क्षेत्र के जन प्रतिनिधि सभी प्रबुद्वजन बी0एस0पी0 के अधिकारीगण , सभी का स्वागत करता हूँ । रावघाट माईन्स के संबंध में जिस किसी को जो भी आपत्ति या सुझाव /विचार देना हैं सभी दे सकते हैं । अपना मत रख सकते हैं ।

4. श्री सुन्दर लाल श्रीमाली (एस0डी0एम0 भानुप्रतापपुर) :– उनके द्वारा अपने उद्बोधन में कहां गया कि यह जन सुनवाई वन पर्यावरण से स्वीकृति हेतु की जा रही हैं । रावधाट माईन्स परियोजना को सबंध में यहां आये हुए सभी नागरिकों का मैं स्वागत करता हूँ । माईन्स के दौरान जो वनो की क्षति होगी उसका प्रबंधन द्वारा निम्नानुसार भरपाई किया जावेगा ।

5. श्री भुनेश्वर नाग (पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बस्तर अंतागढ़) :– मै सभी आदरणीयपूर्वक प्रबुद्व जन का स्वागत करता हूँ । अंतागढ़ को विकास जो होना था नही हो पाया । अंतागढ़ के विकास के लिए रावधाट माईन्स आने का इन्तजार करते रहें । आज इससे सम्बन्धित लोक सुनवाई हो रही हैं । स्वागत हैं रावधाट आने का । लेकिन बी0एस0पी0 का टाऊनशीप बने अंतागढ़ में ही बने तथा यहा के बेरोजगारो के लिए प्रशिक्षण संस्था खोले । तथा बीएस0पी0 कर्मचारियो के भांति यहां की गरीब जनता के लोगो का भी अस्पताल में ईलाज हो , स्कूलो में भंर्तिया हो तथा नारी निकेतन संस्था खोले । माईन्स से जो भी वृक्ष कटे, उसके स्थान पर महुआ, टोरा, जामुन आदि का वृक्षारोपण किया जावे । तथा आदिवासी संस्कृति का पूर्ण ख्याल रखा जाय । बस्तर क्षेत्र देवी देवताओं का क्षेत्र हैं रावबाबा का जो मंदिर हैं उसको किसी प्रकार की क्षति नही होनी चाहिए । इस क्षेत्र की जनता के मांगो के हिसाब से ही बी0एस0पी0 द्वारा कार्य किया जावे ।

6. श्री मुकेश कुमार ठक्कर (अंतागढ़) :– आज हमारे बीच बी0एस0पी0 के अधिकारी तथा शासन के अधिकारीगण उपस्थित हैं । वर्तमान में रावधाट इस क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं । रावधाट माईन्स आने से टाऊनशिप अंतागढ़ में ही आने हेतु हम सब लोग जान देने को भी तैयार हैं । हर व्यवस्था सर्वप्रथम इस क्षेत्र का ही होना चाहिये । चाहे शिक्षा संबंधी, चाहे संस्था संबंधी, चाहे कृषि संबंधी हो । और टाऊनशिप अंतागढ़ में ही हो ।

7. श्री विश्राम सिंह गावड़े (जनपद सदस्य अंतागढ़) :– रावधाट परियोजना के सबंध में लम्बे अर्से से सोच रहे थे कि कब रावधाट आये और हम सब अपना सपना पूरा करें । मेरा विचार हैं कि रावधाट परियोजना अतिशीध्र प्रारंभ हो इस क्षेत्रवासियों के कोई आपत्ति नही हैं । उत्खनन होगा तो इस क्षेत्र के वासियों को क्या लाभ होगा । उत्खनन से जो राशि केन्द्र सरकार को जाता हैं उस राशि के संबंध में स्थानीय सलाह कम समिति गठित हो जो राशि का स्थानीय जनता के लिए लगाये । उसमे केन्द्र सरकार को कोई हस्तक्षेप न हो । उत्खनन् के पूर्व इस क्षेत्र के बेरोजगारो को बिना भेदभाव किये रोजगार उपलब्ध कराया जाय । चिकित्सा सुविधा का भी व्यवस्थित नही हैं । उत्खनन् के दौरान वायु , ध्वनि, आदि प्रदूषण होगा । यहां अच्छा अस्पताल नही हैं तथा निःशुल्क चिकित्सा सभी स्थानीय लोगो को कराया जाय । टाऊनशिप भी अंतागढ़ में ही होना चाहियें । आदिवासियों की संस्कृति का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाय ।

8. श्री राधेश्याम सोरी (पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष) :– जब यहां की जनता यह मांग रही थी कि टाऊनशिप यहां होना चाहियें । तो प्रबंधक को यहां धोषणा करना चाहिये । अगर हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया तो हम सब हिसा का भी रास्ता अपना सकते हैं । इससे प्रबंधन अपने वादे पर न मुकरे । आप अपने मंशा को स्पष्ट रूप से रखे , टाऊनशिप , शिक्षा आदि के संबंध में मंशा स्पष्ट करें । कोयलीबेड़ा आदि का भी ध्यान रखा जाय । जिलाध्यक्ष हूं तो जब तक जिला न बन जाये रावधाट प्रारंभ न किया जाय ।

9. श्री दुर्गेश कुमार ठाकुर अंतागढ़ :– आज हमारी तीसरी, चौथी पीढ़ी हैं जो रावधाट परियोजना आने का इन्तजार कर रही हैं । मैं प्रशासन एंव सेल को धन्यवाद देना चाहूगां । मैं प्रबंधन से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने मंशा को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से रखे । हमारा एक क्षेत्र है कोयलीबेड़ा वहां का भी पर्यावरण आदि संबंध में ध्यान दिया जाय । अगर रावधाट माईन्स को चालू करना हैं तो टाऊनशिप अंतागढ़ में ही रखना है । अगर ऐसा नही होता हम सब किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं । कोई भी प्रशिक्षित पद यहां के लिए 50 से 60 प्रतिशत आरक्षित रखना पड़ेगा ।

10. अनिमेश शर्मा अंतागढ़ :– रावधाट लौह अयस्क डी0एफ0 खदान क्या उत्तर बस्तर कांकेर में नही आता ? 100 प्रतिशत वेट प्रोसेसिंग दल्ली राजहरा में न करके अंतागढ़ में किया जाय क्या डस्ट खान से अंतागढ़ का क्षेत्र प्रभावित नही होगा । प्रदूषण के संबंध में जानकारी क्षेत्र के जनता को दी जाय , तकनीकी शिक्षा के संबंध में आई0टी0आई0 को अपने हक मे लेकर बी0एस0पी0 उसका उन्नयन करे । रावधाट का आना जितना बी0एस0पी0 को जरूरत हैं उतना ही यहा की जनता को भी जरूरत हैं लेकिन प्रबंधन द्वारा वादा करके बाद में मुकरे ना । और प्रशासन से निवेदन हैं कि टाऊनशिप बनाने के लिए बी0एस0पी0 को अंतागढ़ में जमीन देगें ।

11. श्री बद्रीनाथ गावड़े अंतागढ़ :– हम इस बात को लेकर के प्रसन्नता जाहिर करता हूँ । लेकिन टाऊनशीप यही होना चाहिए । इस जंगल जमीन पर हम आदिवासियों को अधिकार हैं लेकिन हमको यह नही लगता कि यहां कि अस्पष्ट नीति से हम लोगो की भलाई होगी । प्रदूषण से होने वाले प्रभाव का ध्यान दिया जाय । आदिवासियों को माईन्स चालू होने से पहले प्रशिक्षित कर रोजगार हर परिवार के सदस्य को देना होगा । वनोपज को प्रोत्साहन दिया जाय ।

12. श्री अखिलेश चंदेल अंतागढ़ :– रावधाट के संबंध में अंतागढ़ वासी का एक मत हैं कि परियोजना चालू हो क्षेत्र के लोगो को अधिक से अधिक इस परियोजना में रोजगार मिले । अगर ऐसा नही हुआ तो परियोजना चालू नही होने दिया जायेगा । रेल लाईन का भी विकास हो । तथा भूमि अधिग्रहण की प्रतिभूति दी जाय । तथा प्रदूषण के संबंध में व्यवस्था किया जाय ।

13. श्री प्रफुल्ल मंडावी सरपंच अंतागढ़ :– बहुत ही खुशी की बात हैं कि आज रावघाट माईन्स हेतु लोक सुनवाई हो रही हैं । माईन्स खुलना चाहिए हमारे क्षेत्र में भी अच्छी स्कूली शिक्षा , अच्छी स्वास्थ्य सुविधा एवं अन्य की व्यवस्था हो । हमारे अंतागढ़ में टाऊनशिप का निर्माण हो । अगर किसी कि भी जमीन जाती हैं तो उसे नौकरी दिया जाय । अगर टाऊनशिप नही बनती हैं अंतागढ़ मे तो हम जान दे देगें और रेललाईन भी नही बनने देगें ।

14. श्री अनिल चंदेल अंतागढ़ युवा मोर्चा छ0ग0 प्रदेश कार्यसमिति सदस्य छ0ग0 :– रावघाट माईन्स जो चालू होने वाली हैं वह पूर्ण कांकेर जिला मे आती हैं आज हमारा सौभग्य हैं कि रावघाट परियोजना को हम कितने अर्से से आशा और विश्वास के साथ देख रहे हैं इसका पहल आज हो रहा हैं परियोजना खुलने के पूर्व यहां प्रशिक्षण संस्थान खुलना चाहिए ताकि यहां के बेरोजगार कुशल श्रमिक में भर्ति हो तथा अच्छा अस्पताल एवं कृषको अच्छी कृषि संबंधी सुविधा दी जावे । खनन के दौरान आस पास के क्षेत्र , वायु प्रदूषण कारी होगा जिसे नियत्रंण हेतु व्यवस्थित की जाय । हमारे क्षेत्र के लोगो को परियोजना के उत्खनन् के हर क्षेत्र में रोजगार 100 प्रतिशत दिया जाय ।

15. श्री भोजराज नाग अंतागढ़ :– आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र का विकास रावघाट परियोजना के माध्यम से होगा । हमारे पूर्वज भी सपना संजोये थे । सर्वे जो कराया गया हैं , जिसमें अंतागढ़ का कोई उल्लेख नही हैं । रावघाट माईन्स से आसपास के कई प्रदूषण होगें । जो हमारे नागरिक ही सहन करेगें यहां के लोगो को सभी सुविधाएं मिलना चाहिये । अगर ऐसा नही हुआ तो हमारे पूर्वजो द्वारा संजोये हुए रावघाट जमीन हम कैसे दे पायेगे । हमारे लोगो को अगर फायदा नही हुआ तो मैं उग्र आंदोलन भी करना जानता हूँ

16. श्रीमती सुभ्रदा सलाम अंतागढ़ :– यहां आज लोक सुनवाई में विचार रखा गया । इस क्षेत्र के जितने भी बेरोजगार भाई हैं इस रावघाट के उत्खनन् में नौकरी मिले । रावघाट जो खुल रहा हैं उसमे हम सभी महिलाओं को भी कार्य मिले तथा टाऊनशिप यही बननी चाहिए ।

17. श्री रविन्द्र बघेल जनपद सदस्य अंतागढ़ :– मेरा एक मांग है जो टाऊन शिप हैं जो शहर के बीचो–बीच बनाया जाय ताकि माईन्स में काम करने वाले कर्मी को सुविधा हो ।

18. श्री रघुनाथ कुमेटी अंतागढ़ :– आप लोगो को मालुम होगा की आदिवासी का विकास जल जंगल जमीन के माध्यम से होता हैं । सभी कहते हैं लेकिन उनका विकास नही होता । केवल पेट भरता है । रावघाट खुलने से कुछ ही प्रतिशत आदिवासियो का विकास होता है । बी0एस0पी0 अनुबंध करके दे कि मुक्त में चिकित्सा, मुक्त में पानी, मुक्त में शिक्षा देगें । यहां कि जनता घूल खायेगी तो हम यही चाहते हैं कि टाऊन शिप अंतागढ़ में ही बने न की अन्यंत्र । अन्यथा हम आन्दोलंन करेगे ।

19. **श्री ए0एम0एनीफ संवाददाता दैनिक देशबन्धु अंतागढ़** :– 1. रावघाट के संबंध में नारायणपुर मे जोड़ने का मतलब क्या हैं । 2. खेलकूद का आयोजन नारायणपुर में किया गया अंतागढ़ में क्यो नही ?

20. श्री महावीर सिंह राठौर अध्यक्ष राज्य अपेक्स बैंक :– मैं पर्यावरण के अधिकारी से पुछना चाहूगा कि खनन करेगें तो अगल–बगल से सैकड़ो जमीन उपजाऊ नही रहेगी । पानी लाल हो जाय तो क्या उपाय होगा । वहां पर क्या व्यवस्था किया जावेगा । खदान आने से लाभ अगर होगा तो नुकसान भी होगा ।

21. श्री राजेश तिवारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी :– चूकिं यहां पर्यावरण विषय पर चर्चा हो रही हैं । पर्यावरण स्वीकृति के बारे में चर्चा किया जाता हैं माईन्स के आने से आस–पास के गांव , पेड़ पौंधे , जानवर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको जानना हैं । हमारे आदिवासी जो निर्भर है जो वनों पर निर्भर हैं । सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो परिवर्तन होगा उसके बारे में सोचना जरूरी हैं जो आदिवासी वनों पे आधारित है । उन्हे वही आधार जिया जाय प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामसभा बैठाकर पर्यावरण के बारे में बताकर उससे स्वीकृत लेना चाहिये । मैं चाहता हूॅ यहां के अदिवासियों के बारे में सोच कर उनसे सहमत लेकर आगे के कार्य हेतु सहमति देना चाहिए ।

22. **श्री विजय पाण्डे** : – रावघाट माईन्स के बारे में जो पर्यावरण संबंधी जानकारी दी गई को उसको स्पष्ट करे । कि कितना प्रदूषण होगा, कितना रोकथाम होगा । इस क्षेत्र की जनता को स्पष्ट रूप से बताया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन प्रतिनिधियों /नागरिकगण द्वारा भी श्री बद्रीनाथ गावड़े एवं अन्य , श्री अनिमेश शर्मा , समस्त महिला मंडल संगठन अंतागढ़ , श्री ए0एम0हनीफ संवाददाता दैनिक देशबन्धु , श्री विश्राम सिंह गावड़े सदस्य जनपद पंचायत अंतागढ़ , एकता परिषद बस्तर, श्री अनिल चंदेल द्वारा भी रावघाट माईन्स के प्रारंभ होने पर स्थानीय बेरोजगारो को रोजगार दिलाने आदिवासी संस्कृति को सुरक्षित एवं संरक्षित किये जाने , परियोजना प्रारंभ होने से पहले स्कूल, अस्पताल , शुद्व पेयजल व्यवस्था किये जाने , वेट प्रोसेसिंग अंतागढ़ में ही किये जाने तथा प्रमुख मांग के अन्तर्गत टाऊन शिप अंतागढ़ में ही बसाये जाने संबंधी लिखित मांग की गई हैं ।

लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों एवं प्रश्नों का उद्योग प्रबन्धन द्वारा समाधान कारक उत्तर दिया गया। तथा ग्रामवासियों की भावना के अनुरूप कार्य करने का आश्वासन दिया गया ।

(74)

अंत में लोक सुनवाई पेनल ने मत व्यक्त् किया कि सभी प्राप्त आपत्ति/सुझाव एवं ग्रामवासियों की मांगों पर (अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण) गंभीरतापूर्वक विचार किया जावे तथा परियोजना प्रबन्धन द्वारा ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाये जिससे कि परियोजना से किसी भी तरह का जल/वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित न हो। इन्हीं शर्तों पर ग्रामवासियों ने रावघाट प्रोजेक्ट लगाने हेतु स्वीकृति दी है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाये।

संलग्न :– लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या –07 कुल पृष्ठ संख्या–20

1. अपर कलेक्टर
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर

2. क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर

3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी
भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर